

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/760-0
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03/08/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला - नीमच,
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री अंकित सिमलोत पुत्र स्व० श्री दिनेश सिमलोत, पुरुष
बहुउद्देशिय पर्यवेक्षक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डिकेन, जिला नीमच, म.प्र.।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 5984-87 दिनांक 23.04.2018.

-0-

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से श्री अंकित सिमलोत पुत्र स्व० श्री दिनेश सिमलोत, पुरुष बहुउद्देशिय पर्यवेक्षक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डिकेन, जिला नीमच, म.प्र. का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन सहायक ग्रेड-3 का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्रेषित किया गया था।


आवेदक श्री अंकित सिमलोत द्वारा संचालनालय में उपस्थित होकर पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता का प्रशिक्षण स्वयं के व्यय पर प्राप्त किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/सी/3-4/1/3/06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 की कंडिका 5.3 एवं म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 5.1 एवं 12.1 में प्रावधान है कि, "यदि किसी पद के लिये अनुभव/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक से सहमति प्राप्त कर उन्हें स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर उन्हें अनुकम्पा नियुक्ति दी जावेगी।"

अतः श्री अंकित सिमलोत का मूल प्रकरण आवश्यक दस्तावेजों सहित आपकी ओर भेजा जा रहा है। आप संबंधित को पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण हेतु प्राचार्य बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, सागर में प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने बावत् नियमानुसार कार्यवाही 03 दिवस में की जाना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से ई-मेल (nongazatted.mp@mp.gov.in) पर अवगत करावें।

"आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित"

संलग्न :- मूल सह पत्र पृ.क्र. 1 से 52 तक


28/8
(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/

भोपाल, दिनांक /08/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. कलेक्टर जिला नीमच मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन, संभाग उज्जैन, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर, मध्यप्रदेश।
4. प्राचार्य, चिकित्सा अधिकारी, बहुउद्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर म०प्र० की ओर भेजकर लेख है कि श्री अंकित सिमलोत को चालू सत्र में ही प्रशिक्षण में शामिल कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।
5. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
6. श्री अंकित सिमलोत पुत्र स्व० श्री दिनेश सिमलोत, निवासी- एल-132, इंदिरा नगर, नीमच, जिला नीमच, म.प्र.।


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन भोपाल, म.प्र.

क्रमांक / 2 / अवि. / सेल-5 / 2018 / 742-0

भोपाल, दिनांक 03/08/2018

प्रति,

क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
उज्जैन संभाग उज्जैन, मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण- श्री गोपाल पालीवाल पति स्व. श्रीमती आशा पालीवाल, ए.एन.एम. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुठालिया, जिला राजगढ़, म.प्र.।

संदर्भ :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजगढ़ का पत्र क्रमांक 8732, दिनांक 22.03.2018.

—00—

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजगढ़ के सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री गोपाल पालीवाल पति स्व. श्रीमती आशा पालीवाल, ए.एन.एम. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुठालिया, जिला राजगढ़, म.प्र. का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण संगणक के पद पर नियुक्ति हेतु संचालनालय में प्राप्त हुआ है जो मूलतः संलग्न है।

श्री गोपाल पालीवाल के शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आवेदक को संगणक पद हेतु योग्य पाया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शाजापुर के अधीन सामान्य वर्ग में संगणक का पद रिक्त है।

अतः म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के तहत संगणक के पद पर नियमानुसार 03 दिवस में अनुकम्पा नियुक्ति की जाकर आपके अधीनस्थ शाजापुर जिले में पदस्थ करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से संचालनालय को ई-मेल (nongazatted.mp@mp.gov.in) पर सूचित करें।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न :- मूल सह पत्र पृ.क्र. 1 से 105 तक



28/8
(विवेक श्रिविस्तव)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / 2 / अवि. / सेल-5 / 2018 /

भोपाल, दिनांक / 08 / 2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर जिला राजगढ़ म.प्र.।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ / शाजापुर म.प्र.।
3. प्रभारी एम.आई.एस (एम.आई.एस) स्थानीय कार्यालय।
4. श्री गोपाल पालीवाल पति स्व. श्रीमती आशा पालीवाल, निवासी- न्यू नगर पालिका के पास, वार्ड क्र. 12, परगाना, ब्याबरा, जिला राजगढ़, म.प्र.।

//
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/191-I
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला रतलाम
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री आशीष सेम्बेकर, पुत्र स्व. श्री सुरेश कुमार सेम्बेकर, स्टीवर्ड जिला चिकित्सालय झाबुआ।

सन्दर्भ :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला झाबुआ का पत्र कमांक 4978 दि. 31.03.2015।

—000—

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री आशीष सेम्बेकर, पुत्र स्व. श्री सुरेश कुमार सेम्बेकर, स्टीवर्ड जिला चिकित्सालय झाबुआ का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन सहायक ग्रेड-3 का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्रेषित किया गया था।

संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदक श्री आशीष सेम्बेकर, पुत्र स्व. श्री सुरेश कुमार सेम्बेकर, द्वारा लेब सहायक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान की गई है।

प्रकरण में श्री आशीष सेम्बेकर, पुत्र स्व. श्री सुरेश कुमार सेम्बेकर, द्वारा धारित शैक्षणिक अर्हता अनुसार वे लेब सहायक की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्रता रखते हैं। उपलब्ध जानकारी अनुसार आपके अधीन लेब सहायक का अन्य पिछडा वर्ग का सीधी भर्ती का पद रिक्त है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री आशीष सेम्बेकर, पुत्र स्व. श्री सुरेश कुमार सेम्बेकर को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/सी/3-4/1/3/06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 एवं परिपत्र क. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर 03 दिवस में अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही की जाकर ई-मेल nongazatted.mp@mp.gov.in पर सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न - उपरोक्तानुसार ()

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 26/02/2018

पृ.कमांक/अवि./सेल-5/2018/192-I

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर जिला रतलाम/झाबुआ मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन /इन्दौर म.प्र.।
3. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला झाबुआ।
5. श्री आशीष सेम्बेकर, पुत्र स्व. श्री सुरेश कुमार सेम्बेकर, पता- गजानन कालोनी वार्ड कमांक 15 सोसर जिला छिन्दवाडा।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/189-I
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला रतलाम
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री विवेक अहिरवार, पुत्र स्व. गयादीन अहिरवार, जे.एम.आई (सुपरवाईजर), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नालछा जिला धार।

सन्दर्भ :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धार का पत्र कमांक 292 दिनांक 15.02.2017।

—000—

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री विवेक अहिरवार, पुत्र स्व. गयादीन अहिरवार, जे.एम.आई (सुपरवाईजर), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नालछा जिला धार का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन सहायक ग्रेड-3 का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्रेषित किया गया था।

संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदक श्री विवेक अहिरवार, पुत्र स्व. गयादीन अहिरवार, द्वारा लेब सहायक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान की गई है।

प्रकरण में श्री विवेक अहिरवार, पुत्र स्व. गयादीन अहिरवार, द्वारा धारित शैक्षणिक अर्हता अनुसार वे लेब सहायक की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्रता रखते हैं। उपलब्ध जानकारी अनुसार आपके अधीन लेब सहायक का अनुसूचित जाति का सीधी भर्ती का पद रिक्त है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री विवेक अहिरवार, पुत्र स्व. गयादीन अहिरवार, को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/सी/3-4/1/3/06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 एवं परिपत्र क. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर 03 दिवस में अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही की जाकर ई-मेल nongazatted.mp@mp.gov.in पर सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न - उपरोक्तानुसार ()



(विवेक श्रीवास्तव)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 26/02/2018

पृ.कमांक/अवि./सेल-5/2018/190-I

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर जिला रतलाम/धार मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाय उज्जैन /इन्दौर म.प्र.।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धार।
4. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
5. श्री विवेक अहिरवार, पुत्र स्व. गयादीन अहिरवार, पता- म.नं. 686/2 होलीपुरा खेडी रोड गंधवानी जिला धार।



अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/187-I
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला उज्जैन
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री शिन् एलेक्स, पुत्र स्व. श्री के. एलेक्स, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता पुरुष, जिला बैतूल।

सन्दर्भ :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बैतूल का पत्र कमांक 32966 दि. 14.12.2016।

—000—

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री शिन् एलेक्स, पुत्र स्व. श्री के. एलेक्स, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता पुरुष, जिला बैतूल का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन सहायक ग्रेड-3 का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्रेषित किया गया था। स्व. श्री के. एलेक्स, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता पुरुष, निधन के पूर्व प्रतिनियुक्ति पर रजिस्ट्रार कार्यालय मध्यप्रदेश वाणिज्य कर अपील बोर्ड भोपाल में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ थे।

संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदक श्री शिन् एलेक्स, पुत्र स्व. श्री के. एलेक्स, द्वारा डार्करूम सहायक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान की गई है।

प्रकरण में श्री शिन् एलेक्स, पुत्र स्व. श्री के. एलेक्स, द्वारा धारित शैक्षणिक अर्हता अनुसार वे डार्करूम सहायक की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्रता रखते हैं। उपलब्ध जानकारी अनुसार आपके अधीन डार्करूम सहायक का अनारक्षित वर्ग का सीधी भर्ती का पद रिक्त है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री श्री शिन् एलेक्स, पुत्र स्व. श्री के. एलेक्स, को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/सी/3-4/1/3/06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 एवं परिपत्र क. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर 03 दिवस में अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही की जाकर ई-मेल nongazatted.mp@mp.gov.in पर सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न - उपरोक्तानुसार ()

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 26/02/2018

पृ.कमांक/अवि./सेल-5/2018/188-I

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर जिला बैतूल/उज्जैन मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल/उज्जैन म.प्र.।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बैतूल।
4. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
5. श्री शिन् एलेक्स, पुत्र स्व. श्री के. एलेक्स पता- म.नं. 67, सुरभि मोहनी होम्स, बरखेडा भोपाल।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/185-I

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला उज्जैन
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री पंकज सोनी, पुत्र स्व. श्रीमती उषा कसार, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर जिला खरगोन।

सन्दर्भ :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला खरगोन का पत्र क्रमांक 3412 दि. 24.03.2017।

---000---

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री पंकज सोनी, पुत्र स्व. श्रीमती उषा कसार, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर जिला खरगोन का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन सहायक ग्रेड-3 का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्रेषित किया गया था।

संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदक श्री पंकज सोनी, पुत्र स्व. श्रीमती उषा कसार, द्वारा डार्करूम सहायक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान की गई है।

प्रकरण में श्री पंकज सोनी, पुत्र स्व. श्रीमती उषा कसार, द्वारा धारित शैक्षणिक अर्हता अनुसार वे डार्करूम सहायक की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्रता रखते हैं। उपलब्ध जानकारी अनुसार आपके अधीन डार्करूम सहायक का अन्य पिछडा वर्ग का सीधी भर्ती का पद रिक्त है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री पंकज सोनी, पुत्र स्व. श्रीमती उषा कसार, को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/सी/3-4/1/3/06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 एवं परिपत्र क्र. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर 03 दिवस में अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही की जाकर ई-मेल nongazatted.mp@mp.gov.in पर सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न - उपरोक्तानुसार ()


(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 26/02/2018

पृ.क्रमांक/अवि./सेल-5/2018/186-I

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर जिला उज्जैन/खरगोन मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवायें इन्दौर/उज्जैन म.प्र.।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला खरगोन।
4. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
5. श्री पंकज सोनी, पुत्र स्व. श्रीमती उषा कसार, पता- वृन्दावन कॉलोनी, महेश्वर जिला खरगोन।



अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/183- I
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला आगर
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री धरमचन्द्र गुजराती, पुत्र स्व. श्री जगदीश चन्द्र गुजराती, पुरुष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र माउखेडी जिला रतलाम।

सन्दर्भ :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रतलाम का पत्र कमांक 2498 दि. 07.09.2016।

—000—

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री धरमचन्द्र गुजराती, पुत्र स्व. श्री जगदीश चन्द्र गुजराती, पुरुष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र माउखेडी जिला रतलाम का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन चतुर्थ श्रेणी का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्रेषित किया गया था।


संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में श्री धरमचन्द्र गुजराती, पुत्र स्व. श्री जगदीश चन्द्र गुजराती, द्वारा मृत्यु के पद हेतु सहमति प्रदान की गई है।

प्रकरण मे श्री धरमचन्द्र गुजराती, पुत्र स्व. श्री जगदीश चन्द्र गुजराती, द्वारा धारित शैक्षणिक अर्हता अनुसार वे मृत्यु की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्रता रखते है। उपलब्ध जानकारी अनुसार आपके अधीन मृत्यु का अनुसूचित जाति वर्ग का सीधी भर्ती का पद रिक्त है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री धरमचन्द्र गुजराती, पुत्र स्व. श्री जगदीश चन्द्र गुजराती, को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/सी/3-4/1/3 /06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 एवं परिपत्र क. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर 03 दिवस में अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही की जाकर ई-मेल nongazatted.mp@mp.gov.in पर सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न - उपरोक्तानुसार ()



(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पू. कमांक/अवि./सेल-5/2018/184 - I

भोपाल दिनांक 26/02/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर जिला आगर/रतलाम मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन म.प्र.।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रतलाम।
4. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
5. श्री धरमचन्द्र गुजराती, पुत्र स्व. श्री जगदीश चन्द्र गुजराती, पता- ग्राम पोस्ट पंचेवा, जिला रतलाम।



अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/179-I

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

प्रति,

क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें
उज्जैन संभाग
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री ललित चौधरी पिता स्व. शेषनारायण चौधरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ताजपुर जिला उज्जैन।

सन्दर्भ:- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उज्जैन का पत्र क्रमांक 6929 दिनांक 14.03.2017।

—000—

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री ललित चौधरी पिता स्व. शेषनारायण चौधरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ताजपुर जिला उज्जैन का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन सहायक ग्रेड-3 के पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्रेषित किया गया था।

संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में श्री ललित चौधरी पिता स्व. शेषनारायण चौधरी, द्वारा संगणक के पद हेतु सहमति प्रदान की गई है।

प्रकरण में श्री ललित चौधरी पिता स्व. शेषनारायण चौधरी द्वारा धारित शैक्षणिक अर्हता अनुसार वे संगणक की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्रता रखते हैं। उपलब्ध जानकारी अनुसार आपके अधीनस्थ संभागीय स्तर पर संचारित रोस्टर अनुसार संगणक का अनुसूचित जाति वर्ग में सीधी भर्ती का पद रिक्त है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री ललित चौधरी पिता स्व. शेषनारायण चौधरी, को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/सी/3-4/1/3/06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 एवं परिपत्र क्र. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के तहत नियमानुसार 03 दिवस में अनुकम्पा नियुक्ति की जाकर आपके अधीनस्थ देवास जिले में पदस्थ करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। तथा की गई कार्यवाही से ई-मेल nongazatted.mp@mp.gov.in पर सूचित करें।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न - उपरोक्तानुसार ()



(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 26/02/2018

पृ.क्रमांक/अवि./सेल-5/2018/180-I

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर जिला उज्जैन/देवास म.प्र.।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन म.प्र.।
3. प्रभारी एम.आई.एस (एम.आई.एस) स्थानीय कार्यालय।
4. श्री ललित चौधरी पिता स्व. शेषनारायण चौधरी पता- म.नं. 34 मित्र नगर पुलिस कालोनी जिला उज्जैन।



अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/177- I

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-देवास, मध्यप्रदेश ।

विषय:- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - कु.शीतल मनखण्डे पुत्री स्व.श्री मनोज मनखण्डे वार्डबाय बड़वानी ।

सन्दर्भ:- कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बड़वानी का पत्र क./स्था./2016/11951,
बड़वानी, दिनांक 31.08.2016 ।

—000—

सन्दर्भित पत्र के माध्यम से स्व.श्री मनोज मनखण्डे वार्डबाय जिला चिकित्सालय बड़वानी की मृत्यु दिनांक 29.02.2016 को हो जाने के कारण उनकी पुत्री कु.शीतल मनखण्डे का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण बड़वानी जिले में रोस्टर अनुसार तृतीय श्रेणी के पद रिक्त नहीं होने से संचालनालय में प्राप्त हुआ है जो मूलतः संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित किया जा रहा है ।

संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदिका कु.शीतल मनखण्डे के शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त आवेदक को सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु योग्य पाया गया । आपके अधीन अनुसूचित जाति वर्ग में सहायक ग्रेड-3 का एक पद रिक्त है ।

अतः म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के तहत आवेदिका को सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति प्रदान कर की गई कार्यवाही से 03 दिवस में संचालनालय को डाक एवं ई-मेल (nongazatted.mp@mp.gov.in) द्वारा समय सीमा में अवगत करावें ।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न:- मूल सह पत्र ।

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/178- I

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर जिला बड़वानी म.प्र. ।
2. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें इंदौर/उज्जैन संभाग म.प्र. ।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-बड़वानी म.प्र. ।
4. कु.शीतल मनखण्डे पुत्री स्व.श्री मनोज मनखण्डे महार मोहल्ला अम्बेडकर मार्ग गली न.3 पाला बाजार, बड़वानी म.प्र. ।
5. प्रभारी एम.आई.एस स्थानीय कार्यालय ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/175-I

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-आगर मालवा, मध्यप्रदेश ।

विषय:- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री पवन पूरे पुत्र स्व.श्री रावजी पुरे जिला-बड़वानी म.प्र. के संबंध में।

सन्दर्भ:- कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बड़वानी का पत्र क./स्थापना/2016/9972, बड़वानी, दिनांक 13.07.2016 ।

—000—


सन्दर्भित पत्र के माध्यम से स्व.श्री रावजी पुरे जुनियर मलेरिया निरीक्षक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तलवाड़ा डेब जिला-बड़वानी की दिनांक 11.05.2016 को मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री पवन पूरे का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण बड़वानी जिले में रोस्टर अनुसार तृतीय श्रेणी के पद रिक्त नहीं होने से संचालनालय में प्राप्त हुआ है जो मूलतः संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित किया जा रहा है।

संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदक श्री पवन पूरे के शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आवेदक को सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु योग्य पाया गया। आपके अधीन अनुसूचित जाति वर्ग में सहायक ग्रेड-3 का एक पद रिक्त है।

अतः म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के तहत आवेदक को सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति प्रदान कर की गई कार्यवाही से 03 दिवस में संचालनालय को डाक एवं ई-मेल (nongazatted.mp@mp.gov.in) द्वारा समय सीमा में अवगत करावें।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न:- मूल सह पत्र ।


(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/176-I

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर जिला बड़वानी म.प्र.।
2. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें इंदौर/उज्जैन संभाग म.प्र.।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बड़वानी म.प्र.।
4. श्री पवन पूरे पुत्र स्व.श्री रावजी पुरे पता- श्रीराम कॉलोनी अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.।
5. प्रभारी एम.आई.एस स्थानीय कार्यालय ।

भोपाल, दिनांक 26/02/2018


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश